तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ताम जारी हुए
28/4/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी (1) की बाद तामील तथा विपक्षीगण (2, 3) की रजि. डाक से तामील करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट व बाद तामील पत्रावली मे संलग्न की गई। समस्त विपक्षीगणो को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। समस्त विपक्षीगणो के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 177/25 तारीख दायर – 22/8/25

कैलाशचन्द्र पुत्र गंगाराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. रमेशचन्द्र पुत्र चुन्नीदास जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. प्यारा पुत्र भूरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा हालमुकाम किशोरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मोहन पुत्र भूरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा हालमुकाम किशोरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक – 28/4/26

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 763 पर अंकित आराजी संख्या 1110 रकबा 1.7806 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 177/25

तारीख दायर – 22/8/25

तारीख निर्णय – 28/4/26

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......177......../ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

कैलाशचन्द्र पुत्र गंगाराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. रमेशचन्द्र पुत्र चुन्नीदास जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. प्यारा पुत्र भूरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा हालमुकाम किशोरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मोहन पुत्र भूरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा हालमुकाम किशोरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 763 पर अंकित आराजी संख्या 1110 रकबा 1.7806 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा नही हटाया जावे तथा कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु कमिश्नर भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ